153
प्रा० स० 230/18/7/16

प्रमंडलीय आयुक्त का कार्यालय,
संथाल परगना प्रमंडल, दुमका।

पत्रांक 136 / रा0

प्रेषक,

बालेश्वर सिंह, भा0प्र0से0,
प्रमंडलीय आयुक्त
संथाल परगना प्रमण्डल, दुमका
—सह—
अध्यक्ष अविक्रयशील कृषि भूमि न्यूनतम मूल्य निर्धारण समिति।

15 JUL 2016

सेवा में,

उपायुक्त,
गोड्डा।

दुमका, दिनांक 13/7/16

विषय :— अविक्रयशील कृषि भूमि के मूल्य निर्धारण के संबंध में।

महाशय,

राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना ज्ञापांक—567 दिनांक—27.04.2016 के आलोक में दिनांक—11.05.2016 एवं दिनांक—01.06.2016 को प्रमण्डलान्तर्गत सभी जिलों के उपायुक्तों के साथ संथाल परगना प्रमण्डल, दुमका के सभी जिलों में अविक्रयशील कृषि भूमि के मूल्य निर्धारण के बिन्दु पर बैठक आयोजित की गयी, जिसमें सभी जिलों से प्राप्त दर प्रतिवेदनों पर विचार करते हुए सर्वसम्मति से एवं सरकार के सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक—401/नि0रा0, दिनांक—28.06.2016 एवं पत्रांक—411/नि0रा0, दिनांक—04.07.2016 में प्रदत्त निदेश के आलोक में आपके जिले में उपज के आधार पर निम्न रूप में गणना किये गये मूल्य को अविक्रयशील कृषि भूमि का बाजार मूल्य निर्धारित करने का निर्णय लिया गया है।

- धानी—I का मूल्य=(रू0 20,000+रू0 13,000) X 30 X (1+गणना वर्ष से गेहूँ एवं धान को न्यूनतम समर्थन मूल्य में हुई वृद्धि का प्रतिशत)

क्र0	फसल का नाम	आधार वर्ष 2011—12	वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2015—16	वृद्धि	प्रतिशत वृद्धि
1	2	3	4	5	6
1	धान	1080	1410	330	
2	गेहूँ	1285	1525	240	
कुल—		2365	2935	570	24.10%

धानी–I का मूल्य=(रू0 20,000+रू0 13,000) X 30 X (1+गणना वर्ष से गेहूँ एवं धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य में हुई वृद्धि का प्रतिशत

धानी–I का मूल्य=(रू0 33,000) X 30 X (1+24/100)

= 99,0000 X (1.24)

- धानी–I का मूल्य = 1227600 रू0 प्रति एकड़
- धानी–II (धानी–I का 3/4) = 920700 रू0 प्रति एकड़
- धानी–III एवं बाड़ी–II (धानी–I का 1/2) = 613800 रू0 प्रति एकड़
- बाड़ी–I (धानी–I का 5/8) = 767250 रू0 प्रति एकड़
- आवासीय भूमि (Homestead Land) का मूल्य (धानी–I का मूल्य)=1227600 रू0 प्रति एकड़
- समिति द्वारा धानी-I / धानी–II/ धानी-III/बाड़ी-I/बाड़ी-II के अलावे अन्य किस्म के भूमि को बाड़ी-II में रखने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

अतः उक्त के क्रम में राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची के अधिसूचना ज्ञापांक–567 दिनांक–27.04.2016 में प्रदत्त निदेश के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन

13.7.16

प्रमंडलीय आयुक्त
संथाल परगना प्रमण्डल, दुमका
–सह–
अध्यक्ष अविक्रयशील कृषि भूमि
न्यूनतम मूल्य निर्धारण समिति।

ज्ञापांक 416 / भू० अ० दिनांक 18.07.2016

प्रतिलिपि मुख्य महाप्रबन्धक एन० टी० पी० सी० कहलगाँव भागलपुर / महाप्रबन्धक ई० सी० एल० राजमहल परियोजना ललमटिया / वरीय उपाध्यक्ष अदानी पावर (झारखण्ड) लि० गोड्डा / उप मुख्य अभियंता (निर्माण) पू० रेलवे भागलपुर सभी अंचल अधिकारी, गोड्डा जिला / कार्यपालक अभियंता पथ निर्माण विभाग गोड्डा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित / कार्यकारी उपाध्यक्ष जिंदल स्टील एवं पावर लि० गोड्डा

18.7.16

जिला भू-अर्जन पदाधिकारी
गोड्डा
18/07/2016